न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 20 / 2024

प्रार्थी –
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण –

1. कानसिंह पुत्र श्री शंकर सिंह निवासी मु0पो0 चांदसिंह का बेरा, घेवड़ा, तह. ओसियां जिला जोधपुर हाल निवासी मु0पो0 रामजी की गोल तह. गुडामालानी जिला बाडमेर (मैसर्स जोधपुर पुरोहितजी मिष्ठान भण्डार, रामजी की गोल तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी बावजूद सुचना अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक : 15.01.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी गण के प्रतिष्ठान **जोधपुर पुरोहितजी मिष्ठान भण्डार, रामजी की गोल तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर** पर निरीक्षण दिनांक **04.11.2023** को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ **मिल्क केक (मिठाई)** जो कि एक स्टील की ट्रे में लगभग 6 किग्रा भरा हुआ था, को मिलावट के [illegible] शक पर नियमानुसार **02 किलो मिल्क केक मिठाई** (दूध व चीनी से निर्मित) [illegible] नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या **पी–2377** अंकित [illegible] सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5 [illegible] भरकर अप्रार्थी एवं [illegible] व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **मिल्क केक मिठाई (दूध व चीनी से**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:50:24 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

निर्मित) का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा रिपोर्ट दिनांक **14.11.2023** में उक्त खाद्य पदार्थ **केक मिठाई (दूध व चीनी से निर्मित)** का नमूना को **Unsafe Food** बताया गया जिसकी अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा निर्दिष्ट प्रयोगशाला से जांच का निवेदन किया गया। इस पर निर्दिष्ट प्रयोगशाला मैसूर से जांच करवाई गई जिसकी जांच रिपोर्ट दिनांक **08.03.2024** में उक्त नमूना अवमानक स्तर का पाया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित।

3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थीगण के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **14.11.2023** में उक्त नमूना **Unsafe Food** स्तर का पाया गया है। जिसमें अप्रार्थी द्वारा उस पर असहमति प्रकट की गई हैं। इस पर उक्त नमूना की निर्दिष्ट प्रयोगशाला मैसूर से जांच करवाई गई, जिसकी रिपोर्ट दिनांक **08.03.2024** में अवमानक होना एवं खाद्य पदार्थ **मिल्क केक मिठाई (दूध व चीनी से निर्मित)** के निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होना प्रकट किया गया हैं। जांच रिपोर्ट के अनुसार **B.R. Reading of extracted fat at 40 degree C** का मानक स्तर न्यूनतम **40.0 to 44.0 (Milk fat)** के मुकाबले **48.01** पाया गया है जो कि मानक स्तर का नहीं है। इस पर प्रार्थी की ओर से यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित। अ[illegible] जो खाद्य पदार्थ अपने प्रतिष्ठान में रखकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा है उसकी गुणवता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थीगण का है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:50:24 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थीगण के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से **रूपये 15,000/–** का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

5. आदेश आज दिनांक 15.01.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Singh Chandawat
Date: 2025.06.20 10:50:24 IST
Reason: SelfAttested